पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : [illegible]/अका./वि.प.स्थायी समिति/2020 रायपुर, दिनांक 24.06.2020

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22.06.2020 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल – सदस्य
4. डॉ. के.के. घोष – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव – सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा – सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश – सदस्य
8. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
9. डॉ. एस.के. जाधव – सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
11. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा – सदस्य
12. डॉ. गिरीशकान्त पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्यवृत्त :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 25.03.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.02.2020 एवं 25.03.2020 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार <u>अस्थायी</u> सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद	B.Com.-III-All Compulsory Subject	50	2020–21	1. डॉ. डी.के. वर्मा, शासकीय नवीन महावि. खरोरा, जिला–रायपुर 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

निरीक्षण तिथि – 12.06.2020 1. स्वयं का भवन है। 2. मानदंड के अनुरूप कक्ष उपलब्ध है। 3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए कोई भी नियमित प्राध्यापक नियुक्ति नहीं है। संविदा आधार पर तीन सहायक प्राध्यापक नियुक्त हैं। 4. ग्रंथालय हेतु पुस्तकों का आदेश दिया गया है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ग्रंथपाल का पद रिक्त है। 5. महाविद्यालय में अन्य सुविधाएँ पर्याप्त हैं। 6. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए सभी शर्तों को पूर्ण नहीं की गई है। अंशतः पूर्ति की गई। 7. सम्बद्धता हेतु शर्तें/कमियाँ – (1) नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो। (2) विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पुस्तकें क्रय की जाए।
निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

04. MCA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक–85 की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वर्तमान में MCA-तीन वर्षीय पाठ्यक्रम कम्प्यूटर अध्ययनशाला में संचालित है। AICTE के Approval Hand Book 2020-21 के पृष्ठ क्रमांक–90 पर MCA को दो वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित करने हेतु **MCA** द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अध्यादेश क्रमांक–85 की अनुशंसा की गई। विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् के अनुशंसा की प्रत्याशा में समन्वय समिति के स्थायी समिति में अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया है।

05. संशोधित अध्यादेश क्रमांक–45 की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अध्यादेश–45 में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्ताव हेतु चार सदस्यीय गठित समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2020 को आयोजित की गई। यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक D.O.No.F.1-1/2020(Secy) Dt. 29th April, 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार पी–एच.डी. ऑनलाईन Viva-Voce कराए जाने हेतु अध्यादेश क्रमांक 45 में समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई। अध्यादेश क्रमांक–45 **DOCTOR OF PHILOSOPHY** में ऑनलाईन Viva-Voce कराए जाने हेतु तद्नुसार विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् के अनुशंसा की प्रत्याशा में प्रकरण समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

06. अध्यादेश क्रमांक–5 एवं 6 की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. एफ 3–33/2020/38–1 दिनांक 01.06.2020 में उल्लेखित "माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ परीक्षा आयोजन के संबंध में समीक्षा की गई समीक्षा में सभी विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न विशेष परिस्थिति के कारण परीक्षा आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम में संशोधन की अपेक्षा की गई थी। अतः उक्त विषयक नवीन एजेण्डा भी संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किए जाने निर्देश दिया गया था।" शासन के निर्देशानुसार अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 6 में केवल शिक्षा सत्र 2019–20 के लिए अध्यादेशों में विशिष्ट प्रावधान को समाहित करने हेतु विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् के अनुशंसा की प्रत्याशा में प्रकरण समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

07. एम.फिल. / पी–एच.डी. छात्रों को लघु शोध प्रबंध / शोध प्रबंध जमा करने हेतु छः माह की समय वृद्धि करने के संबंध में विचार करना। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा D.O. no. F 1-1/2020/Secy दिनांक 29 अप्रेल, 2020 को जारी दिशा निर्देश की कंडिका 13 के परिप्रेक्ष्य में)

निर्णयः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी D.O. no. F 1-1/2020/Secy 29 अप्रेल, 2020 को जारी दिशा निर्देश की कंडिका 13 में कोरोना महामारी (Covid-19) के परिप्रेक्ष्य में एम.फिल. / पी–एच.डी. छात्रों के लघु शोध प्रबंध / शोध प्रबंध जमा करने की अवधि में छः माह की समय वृद्धि के संबंध में अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार –

The M.Phil. of Ph.D. students, whose maximum period for submission of M.Phil./Ph.D. Dissertation/Thesis prescribed under relevant rules/regulations/ Ordinances of the concerned Universities is exprired/expiring during the Corona pandemic period, may be allowed to submit their Dissertation/Thesis including completion of pending formalities within six months from the date of expiring of regular prescribed period. The period of six months extension will also be applicable in case of all those students who are yet to submit their Dissertation/Thesis.

इसे यथावत् अंगीकृत किया जाता है।

08. सत्र 2019–20 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

निर्णयः उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में तीन सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–30(1)(v) में निहित प्रावधान अनुसार विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में तीन सदस्यों के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

02. वाणिज्य संकाय की दिनांक 29.02.2020 को संपन्न बैठक के कार्यवृत की अनुशंसा करना।

निर्णय :संबंधित अध्ययन मण्डलों के विचारार्थ प्रेषित किया जाए एवं विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

03. फार्मेसी संस्थान द्वारा AICTE अनुमोदन withdrawal की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 133/Reg./2020 Dated 13-03-2020 द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. को withdrawal letter AICTE वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

04. सत्र 2019–20 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	सी.आई.टी. बी.एड्. कालेज, भेलवाडीह, पो.–उपरवारा, जिला–रायपुर
2	सी.आई.टी. साइंस एंड कामर्स कॉलेज, ग्राम–भेलवाडीह, अभनपुर, जिला–रायपुर

निर्णयः उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2946 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2020 रायपुर, दिनांक 24.06.2020

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित्।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका)